



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प0 1(15)एमई/ग्रुप-1/2017 पार्ट 5

जयपुर, दिनांक 22/11/2021

परिपत्र

विषय:- चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रेक्टिस के संबंध में।

राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय समय के अतिरिक्त निजी प्रेक्टिस किये जाने के संबंध में निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रेक्टिस उनके आवास स्थान पर ही अनुमत होगी वे किसी निजी चिकित्सा संस्थान/चिकित्सालय अथवा अन्य समान संस्था पर निजी प्रेक्टिस नहीं कर सकेंगे।
2. चिकित्सक शिक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उन्हें नॉन प्रेक्टिसिंग वर्ग में माना जावेगा।
3. जो चिकित्सक शिक्षक निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेंगे उन्हें नियमानुसार एन.पी.ए./एन.सी.ए. देय नहीं होगा।
4. चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन के राजकीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व निर्वहन करना होगा अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना समझी जाएगी एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

22/11/2021  
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/शैक्षणिक) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय।
8. रक्षित पत्रावली।

22/11/2021  
शासन संयुक्त सचिव